न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश – 15
सारण छपरा।
उपस्थित :– वसीम अकरम खान,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश – 15
सारण छपरा।
निर्णय की तिथि :– 08.05.2026
सत्र वाद संख्या – 480/2024
खैरा (नगरा ओ.पी) थाना कांड संख्या.234/2017
पंजीयन संख्या – 480/2024

शिकायतकर्ता/सरकार	सरकार/सूचक निशा पाण्डेय पति.हृदया प्रकाश पाण्डेय सा.रसूलपुर थाना.खैरा,जिला.सारण।
अभियुक्त का नाम	1.नागेन्द्र पाण्डेय पे.स्व.रामेश्वर पाण्डेय 2.हृदया प्रकाश पाण्डेय पे.नागेन्द्र पाण्डेय 3.कल्याणी देवी पति नागेन्द्र पाण्डेय सा..रसूलपुर,थाना.खैरा,जिला–सारण।
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री मनबोध प्रसाद
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री संजय कुमार सिंह,अधिवक्ता।

FORM-B

Statement of History of Proceedings

Proceeding	Date	Under Section
घटना तिथि	22.09.2017	341,323,307,498ए/34 भा.द.वि एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	22.09.2017	,,
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि	14.05.2018	341,323,307,498ए/34 भा.द.वि एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम
संज्ञान की तिथि	14.05.2018	,, ,,
आरोप गठन की तिथि	05.12.2024	341/34,323/34,307/34एवं 498ए/34 भा.द.वि.एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	17.04..2026	
निर्णय की तिथि	08.05.2026	

क्रम सं	अभियक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत प्राप्त करने की तिथि	आरोप गठन अन्तर्गत धारा	दोष–मुक्त	सजा
	1.नागेन्द्र पाण्डेय 2.हृदय प्रकाश पाण्डेय 3.कल्याणी देवी		09.02.2018	341/34,323/34,307/34, 498ए/34 भा.		

				द.वि.3/4 दहेज निषेध अधिनियम		

FORM-C

अभियोजन साक्षियो/बचाव पक्ष के साक्षियों/न्यायालय साक्षियों की सूची

(क)
अभियोजन साक्षी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति
01	निशा पाण्डेय	सूचिका

(ख)
बचाव पक्ष साक्षी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति
01.	शून्य	

(ग)
न्यायालय साक्षी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति
01.	शून्य	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

(क)
अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श	अभियुक्ति
प्रदर्श–1	लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर	

(ख)
बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श	अभियुक्ति

(ग)
न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श	अभियुक्ति
01.	शून्य	

(घ)
न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श	अभियुक्ति
01.	शून्य	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपर्युक्त सभी तीन अभियुक्तगण के विरुद्व धारा 341/34,323/34, 307/34, 498ए/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के आरोप में विचारण किया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेपानुसार इसप्रकार है कि सूचिका की शादी दिनांक.10.07.2016 को हृदया कुमार पाण्डेय के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। सूचिका विदा होकर अपने ससूराल गयी। ततपश्चात् वाद के नामांकित सभी अभियुक्तगण सूचिका से दहेज में मोटर सायकिल की मांग को लेकर दवाब देते थे। जब सूचिका यह कहती कि अभी मेरे पिताजी मोटर सायकिल देने में सक्षम नहीं है तो अन्य सह अभियुक्तगण सूचिका के पति के कहने पर सूचिका को खाना–पीना नहीं देते और प्रताड़ित करते थे। दिनांक.22.03.2017 को समय करीब 9.00 बजे दिन में सभी अभियुक्तगण सूचिका को मारपीट कर किरासन तेल छिड़क कर जान मारने के लिए माचिस जला रहे थे कि पड़ोसी के द्वारा सूचिका के ससूराल को मोबाईल से सूचना दिया । सूचना पर ससूराल के लोग आये और जान बचाये।

3. सूचिका के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण सहित वाद के अन्य अभियुक्त ओम प्रकाश पाण्डेय एवं नितु देवी के विरुद्व धारा 341,323,307/34 498ए/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधान के पश्चात सह अभियुक्त ओम प्रकाश पाण्डेय एवं नितु देवी को निर्दोष पाकर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्व *धारा 341,323,324,307,498ए/34 भा.द.वि एवं 3/4 दहेज निषेध* अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। ततपश्चात दिनांक.14.05.2018 को विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया तथा वाद दौरा सुपूर्द किया गया है।

4. उपर्युक्त सभी तीन अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्व दिनांक.05.12.2024 को *धारा 341/34,323/34,307/34,498ए/34 भा.द.वि एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम* के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा हिन्दी में पढ़कर सुनाया समझाया गया। जिसे अभियुक्तों ने दोषी होने से इन्कार किया और विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मात्र एक साक्षी अभि.साक्षी सं.1.निशा कुमारी स्वयं सूचिका का साक्ष्य कराया गया है।

अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में सूचिका के लिखित आवेदन पर सूचिका के हस्ताक्षर को पदर्श–पी/1 अंकित कराया गया है।

6 अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं.प्रं.स. के अन्तर्गत दर्ज किया। अपने बयान में अभियुक्तगण का कहना है कि उन्होंने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है और वे बिल्कुल निर्दोष है।

7. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में किसी प्रकार का कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8 अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्व लगाये गये आरोपों को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

मन्तव्य

9. अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजन का कहना है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी सूचिका ने धटना का समर्थन नहीं किया है। लेकिन अभियुक्तगण के विरुद्व सूचिका एवं अन्य को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर जख्मी करने का स्पष्ट आरोप है। जो गम्भीर प्रकृति का अपराध है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में कहा है कि सूचिका ने धटना का समर्थन नहीं किया है। सूचिका स्वयं अपने मुख्य परीक्षण में धटना का समर्थन तो किया है लेकिन प्रति परीक्षण में कहा है कि मुकदमा राजी खुशी से सुलह हो गया है। मोटर सायकिल की मांग किसी के द्वारा नहीं की गयी थी। मुझे किसी ने जान मारने की नीयत से चोट नहीं पहुंचायी थी। पर्याप्त समय के पश्चात भी कांड़ के अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है और न किसी प्रकार का जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रदर्श अकित कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्व लगे आरोपों को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्व करने में असफल रहा है और अभियुक्तगण दोष–मुक्ति का अधिकारी है।

11.उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का परीशिलन किया। अभियोजन की ओर से कुल दो साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समझ कराया है।

अभियोजन साक्षी सं.1.निशा पाण्डेय स्वय सूचिका ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मुकदमा मैनें ही किया था। मेरी शादी दिनांक.10.07.2016 को हृदय प्रकाश पाण्डेय के साथ हुई थी। मैं शादी के बाद अपने ससुराल रहती थी। मेरे ससुराल वाले उस समय दहेज के लिए प्रताड़ित किया जात था। जिसको लेकर मैनें एक आवेदन मुदालह के विरुद्व दियाथा। मैं उस आवेदन पर अपना हस्ताक्षर किया था। साक्षी के द्वारा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर का पहचान करने पर इसे प्रदर्श–पी–1 अंकित किया गया। *इस सूचक साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में* कहा है कि आवेदन मैनें नहीं लिखा था किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा था। आवेदन को पढ़कर सुनाया नहीं गया था। मैनें बिना पढ़ें दस्तखत कर दिया था। आवेदन में लिखी बातें सत्य नहीं है। कंड़िका–2 में कहा है कि मुझसे मोटर सायकिल की मांग किसी के द्वारा नहीं की गयी थी। कंड़िका–5 में कहा है कि मुझे किसी ने जान मारने की नीयत से चोट नहीं पहुंचायी थी। इस प्रकार इस सूचक साक्षी के साक्ष्य से ही अभियोजन का समस्त कथन विरोधाभाषी एवं संदेहात्मक हो जाता है। जिस कारण अभियुक्तगण दोष–मुक्ति का हकदार हो जाता है।

पर्याप्त समय के पश्चात भी कांड़ के अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है और न कोई जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित कराया गया है। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराये जाने के कारण जहॉ घटना घटित हुई है,उसका समर्थन नहीं होता है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के सूक्ष्म परीशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्तों के विरुद्व लगायें गये आरोपों को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित कर पाने में पूर्णरुप से विफल रहा है।

तद्नसार ,

आदेश

प्रस्तुत मामलें के सभी अभियुक्तगण 1.हृदया प्रकाश पाण्डेय 2.नागेन्द्र पाण्डेय एवं 3. कल्याणी देवी के विरुद्व धारा *341/34,323/34,307/34,498ए/34 भा.द.वि एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम* के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष–मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। ऐसी स्थिति में इनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

वसीम अकरम खान
अपर सत्र न्यायधीश–15
सारण,छपरा। 08.05.2026

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लेखापित ,शुद्विकृत एवं दिनांकित किया गया तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वसीम अकरम खान
अपर सत्र न्यायाधीश–15
सरण,छपरा। 08.05.2026

अनुबंध

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीः–
अभि.साक्षी सं.1. निशा पाण्डेय स्वयं सूचिका

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श– 1.लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी–शून्य

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श–शून्य

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–15
सारण,छपरा। 08.05.2026

आदेश/निर्णय की तिथि	08.05.2026
आदेश/निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	
अपलोड करने की तारीख	08.05.2026
द्वारा अपलोड किया गया	